

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक वकिलपर बस्ती जि. जयपुर

समवरणी बनाम कन्हैयालाल

मुकदमा संख्या/वर्ष

32/2017

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/04/24	<p>1, 34 की अंतर्गत एड वी रमेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा आपत्ति कुर्जेजात प्रा.पत्र पर बद्ध सुनी गयी पत्रावली बास्ते आदेश दिनांक 22/04/24 का पेश है।</p> <p>पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिकृत उपस्थित। आपत्ति प्रा.पत्र कुर्जेजात पर बद्ध पूर्व में सुनी जा चुकी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिकृत की बद्ध पर मन्त करनी के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कुर्जेजात प्रा.पत्र अस्वीकार कर स्वारिज किया जाकर मुताबिक तद्वलीकार विभाजन प्रस्ताव दि. 23/11/22 का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री दिया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिख जाकर शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>पत्रावली फेलन कुमार चंकर नम्बर से रुक है।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 22/04/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(m n) सहायक वकिलपर बस्ती जिला-जयपुर</p>

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :- कनक जैन (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 32/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. समदरसी आयु 45 वर्ष पुत्र रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम झोल पोस्ट मानोता तह. जमवारामगढ जिला जयपुर।		1. कन्हैयालाल पुत्र कालूराम 2. रामावतार पुत्र कालूराम(दोराने दावा फोत) 2/1 नवल शर्मा पुत्र स्व. रामावतार 2/2 नितिन शर्मा पुत्र स्व. रामावतार 2/3 मोहनी शर्मा पुत्री स्व. रामावतार 2/4 छोटी देवी पत्नी स्व. रामावतार जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुजानपुरा तह बस्सी जिला जयपुर 2/5 सविता शर्मा पुत्री स्व. रामावतार पत्नी राजीव शर्मा (राजू) जाति ब्राहमण निवासी- हाल झूपडया की ढाणी जौण थूमडी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा 3. जगदीश पुत्र कालूराम 4. शंकर पुत्र कालूराम 5. रुकमणी पुत्री कालूराम 6. अनिल पुत्र कानाराम समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सुजानपुरा तह. बस्सी जि. जयपुर 7. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी, जयपुर 8. तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी, जयपुर

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

निर्णय दिनांक 22.04.2024

मुताबिक तहसीलदार बस्सी विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23.11.2022 का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 46 रकबा 02 बीघा (अर्थात् 0.5058 हैक्ट) स्थित ग्राम सुजानपुरा प.ह. दूधली भू.अ.नि. दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर में से खसरा न. 46/2 रकबा 0.1445 हैक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 0.1445 हैक्ट. की भूमि खातेदार समदरसी पुत्र रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम झोल तह. जमवारामगढ के

cm nj

हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 46/1 एकबा 0.3813 हैक्ट. कुल गिरता 1 कुल एकबा 0.3813 हैक्ट. की भूमि खातेदार अनिलकुमार पुत्र कानाशम हि. 1/25 कन्हैयालाल पुत्र कालूराम हि. 1/25 जगदीश पुत्र कालूराम हि. 6/25 रुकमणी पुत्री कालूराम हि. 1/5 रामावतार पुत्र कालूराम हि. 6/25 शंकर पुत्र कालूराम हि. 6/25 जाति हरि ब्राह्मण सा. देह के हिस्से में रहेगी। तहशीलदार बरसी प्रकरण में फौत हुए पक्षकारों के वारिसों की जांचकर तदपश्चात उनके नाम नामान्तरण दर्ज कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....
खर्चाइस मुकदमे का मय शूच तगैरह.....फीसदी
 सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22.04.2024 को जारी किया गया।

मोहर *



दस्तख्त.....
 ओहदा.....

(म न)

सहायक कलेक्टर

बरसी जिला-जयपुर

मुद्दै	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबतइजराय			बाबतइजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(म न)

(कनक जैन)

सहायक कलेक्टर

बरसी जिला जयपुर ग्रामीण